संo भाoसo–25/IV(2)-शoविo–08–09(एनoयूoआरoएमo)/08

प्रेषक,

सौरभ जैन,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 : देहरादूनः दिनांक– 29 मार्च, 2008

विषयः– जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के उप मिशन बीoएसoयूoपीo के अन्तर्गत देहरादून शहर की काठबंगला एवं खाला बस्ती मलिन बस्तियो में आवास तथा अन्य अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक तथा व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या N-11026/10/2007/BSUP/JNNURM-Vol. XI दिनांक 31–12–2007 के द्वारा केन्द्रीय संस्तुति एवं मानिटरिंग कमेटी (सीoएसoएमoसीo) की 26वीं बैठक दिनांक 20–12–2007 में संलग्न कार्यवृत्त के अनुरूप देहरादून शहर की काठबंगला एवं खाला बस्ती मलिन बस्तियों में आवास तथा अन्य अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण हेतु कुल धनराशि रू0 995.76 लाख की डीoपीoआरo संस्तुत की गयी है। तत्क्रम में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के पत्र संख्या 59(12)/P.F.–1/2007–260 दिनांक 5–2–2008 द्वारा उक्त योजना हेतु प्रथम चरण के लिए केन्द्रांश की धनराशि रू0 193.98 लाख अवमुक्त की गयी है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त के विपरीत केन्द्रांश के रूप में रू0 193.98 लाख तथा इस धनराशि के सापेक्ष देय राज्यांश रू0 54.96 लाख के विपरीत नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण (आईoडीoएसoएमoटीo) योजना की संलग्न बीoएमo–15 में उल्लिखित अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों के व्ययावर्तन के द्वारा रू0 248.94 लाख इस प्रकार कुल रू0 248.94 लाख (रूपये दो करोड़ अड़तालीस लाख चौरानवें हजार मात्र) की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. उक्त धनराशि आपके द्वारा आहरित कर सम्बधित कार्यदायी संस्था नगर निगम, देहरादून को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
2. भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या N-11026/10/2007/BSUP/JNNURM-Vol. XI दिनांक 31–12–2007 के द्वारा केन्द्रीय संस्तुति एवं मानिटरिंग कमेटी (सीoएसoएमoसीo) की 26वीं बैठक दिनांक 20–12–2007 में संलग्न कार्यवृत्त के संलग्नक–3 में दी गयी व्यवस्थानुसार उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष रू0 2.30 लाख

(रूपये दो लाख तीस इकत्तीस हजार मात्र) इस योजना हेतु नामित नोडल एजेन्सी को डी0पी0आर0 तैयार करने, प्रशिक्षण तथा प्रशासनिक व्यय हेतु व्यावर्तित किया जायेगा।

3. उक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं योजनाओं एवं मदों के लिए किया जायेगा जिन योजनाओं एवं मदों के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। किसी भी दशा में धनराशि का व्ययावर्तन किसी अन्य योजना/मद में नही किया जायेगा।

4. भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत उक्त योजना के कार्यो हेतु यह अवश्य सुनिश्चित किया जाय कि उक्त कार्य हेतु राज्य सरकार के बजट से धनराशि न दी गयी हो, यदि दी गयी हो तो उस धनराशि को इस अनुमोदित लागत के सापेक्ष व्यय दिखाकर विभागीय बजट से स्वीकृत बजट को शासन को समर्पित कर दिया जाय।

5. उक्त धनराशि को नगर निगम, देहरादून को अवमुक्त किये जाने से पूर्व नगर निगम के साथ MoA हस्ताक्षरित करते हुए शासन की सहमति प्राप्त कर ली जायेगी।

6. जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत उप मिशन बी0एस0यू0पी0 की भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

7. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय द्वारा जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत अपेक्षित सुधारों के पृथक–पृथक प्रस्ताव तैयार कर शासन को उपलब्ध कराये जायेगें।

8. स्वीकृत धनराशि के व्यय अथवा निर्माण करने से पूर्व सभी योजनाओ/कार्यों पर संबंधित मानचित्र एवं विस्तृत आगणन गठित कर तकनीकी दृष्टिकोण से समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए एवं विशिष्टियों का अनुपालन करते हुए प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

9. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करानी होगी। जिसमें कि भौतिक प्रगति का स्पष्ट उल्लेख होगा। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी और उसके अभियंता पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे।

10. स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर परचेज रूल्स एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये, एकमुश्त प्राविधान के विस्तृत आगणन गठित कर लिये जाये, और इन पर यदि किसी तकनीकी अधिकारी के कार्य कराने से पूर्व का अनुमोदन प्राप्त करना नियमानुसार आवश्यक हो तो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।

11. आगणन में उल्लिखित दरों को विश्लेषण सम्बन्धित विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को पुनः स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

12. निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।

13. कार्य पूर्ण होने पर इसे वित्तीय वर्ष में उक्त कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण राज्य सरकार को तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र भी राज्य सरकार एवं भारत सरकार को प्रेषित करा दिया जायेगा। योजना के लिए स्वीकृत धनराशि का मासिक व्यय विवरण भी शासन को प्रेषित किया जायेगा।

14. कार्य को भारत सरकार के द्वारा दी गई प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति की सीमा के अन्तर्गत ही पूर्ण किया जायेगा। इस लागत में कोई वृद्धि वित्त पोषण के पैटर्न से इतर राज्य रकार के द्वारा अनुमन्य नहीं होगी।

15. उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष–2007–08 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–13, लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–06–बेसिक सर्विसेज टू अरबन पुअर्स योजना–20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता के नामे डाला जायेगा।

16. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0– 401/XXVII(2)/2008, दिनांक– 29 मार्च, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सौरभ जैन)
अपर सचिव।

सं0 भा0स0–25(1)/IV(2)-श0वि0–08,तद्दिनांक।

प्रतिलिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 नगर विकास मंत्री जी (मा0 मुख्यमंत्री जी)।
3– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5– जिलाधिकारी, देहरादून।
6– वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
8– प्रशासक/मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून।
9– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10– गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
अनु सचिव।